

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एनवीबीडीसीपी/2019/427

दिनांक: 21/6/19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
राजस्थान।

विषय:—मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु माइक्रोप्लान अनुसार कार्यवाही करने के क्रम में।

संदर्भ:—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2019/1711 दिनांक 18.03.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु उपरोक्त सदरभित पत्रों के माध्यम से समय-समय पर आपको माइक्रोप्लान अनुसार आवश्यक गतिविधियां सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। परन्तु अघोहस्ताक्षरकर्ता के यह ध्यान में आया है कि आपके जिले में पीएचसी/खण्ड/जिला स्तर पर माइक्रोप्लान नहीं बनाया गया है एवं ना ही मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रपत्र भरने के क्रम में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है तथा ना ही आपके द्वारा प्रतिदिन की गई कार्यवाही की सूचना निदेशालय को प्रस्तुत नहीं की जा रही है। इस से प्रतीक होता है कि आप मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु गंभीर नहीं है।

अतः इस पत्र के माध्यम से पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक चिकित्सा संस्थान/खण्ड/जिला स्तर पर मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु निर्धारित प्रपत्र में माइक्रोप्लान तैयार कर घर-घर सर्वे, एन्टीलार्वल, एन्टीएडल्ट, स्वास्थ्य शिक्षा, आईईसी गतिविधियों, नियमित रिपोर्टिंग करना व अन्य आवश्यक कार्य करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों में बरती गई लापरवाही के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:

क्रमांक: एनवीबीडीसीपी/2019/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक (मलेरिया), मुख्यालय।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
6. प्रभारी सर्वर को संबंधित को ई-मेल व वेबसाइट पर अपलोड करने वास्ते।
7. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर